



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 11 जून, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क")
2. अन्य प्रश्न देखिए नत्थी "ख"
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा "दून चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में" श्री नरेश थापा पुत्र श्री हेम थापा, निवासी-चन्दर रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा "चकराता रोड चौड़ीकरण के कार्य में देरी के सम्बन्ध में" श्री अशोक श्रीवास्तव पुत्र श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव, निवासी-घोसी गली, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा "राजपुर रोड, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में" श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी-संजय कालोनी, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
9. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

12. कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी -

“राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्योगिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।”

13. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी -

“राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।”

14. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री नवप्रभात, “सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान” की भांति “यमुना स्वच्छता अभियान” स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये “गंगा विकास प्राधिकरण” की भांति “यमुना विकास प्राधिकरण” का गठन भी किया जाय।

2. श्री मदन कौशिक, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण को समाप्त करने के लिये एक स्पष्ट नीति बनायी जाय। नीति में राज्य के अधिकार के बाहर के विषयों को सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाय तथा भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि राज्य हित में इन विषयों को तत्काल लागू करें।”

3. श्री भीम लाल आर्य “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में स्थित प्रसिद्ध टिहरी बांध के ऊपर आम जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय”

15. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- (15 मिनट)

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।”

16. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- (15 मिनट)

“इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।”

17. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- (15 मिनट)

“उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।”

18. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- (15 मिनट)

“यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।”

19. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- (15 मिनट)

“दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन **U.A. State Branch** ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नहीं हो सकी है।”

20. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (15 मिनट)

“विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय”

21. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- (15 मिनट)

“जनपद देहरादून के पछवाड़ क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।”

22. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा हेतु:- (15 मिनट)

“प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

23. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (15 मिनट)

“उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।”

24. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत 20 फरवरी, 2014 नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (15 मिनट)

“उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

25. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:- (15 मिनट)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लिंगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।"

26. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चा:—(15 मिनट)

“उत्तराखण्ड राज्य में “ईको सेंसिटिव जोन” को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।”

27. नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

28. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 (रानीपुर) के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई एस0 व टी0 कलस्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आदेश चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

29. जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

गैरसैंण :
दिनांक : 10 जून, 2014

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



द्वितीय सत्र, 2014-
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 11 जून, 2014)

नत्थी "क"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत
द्वितीय सत्र 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात 06.01.2014	*01. पुनः स्थगित। क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को चिन्हित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार के सभी विभागों द्वारा एक ही सूची के आधार पर कार्यवाही की जा रही है या विभाग अपनी योजनाओं के लिये बीपीओएल लाभार्थी स्वयं चिन्हित करते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभागों के अलग अलग सूची के आधार पर कार्य किये जाने का क्या औचित्य है ?	ग्राम्य विकास
-----------------------------	---	------------------

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात
26.03.2014

*1. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

लघु सिंचाई

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की 20349 लघु सिंचाई योजनाओं का जिलेवार फांट बटवारा क्या है तथा उन पर कितना निवेश किया गया है तथा जिन लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई नहीं हो रही है उनकी जिलेवार संख्या क्या है तथा उन पर कितना निवेश किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन 20349 लघु सिंचाई योजनाओं के स्रोत तथा उन पर उपलब्ध जल का विवरण क्या है तथा इन 20349 योजनाओं से कितने क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है ?

श्री नवप्रभात
01.04.2014

*2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 के बीच 25370 लाख रूपया नये वृक्षारोपण पर व्यय किया गया तथा इस व्यय से 87561 है० भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो इस निवेश में कुल कितने वृक्ष रोपित किये गये तथा प्रतिवर्ष किये गये वृक्षारोपण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण क्या है ?

वन

श्री नवप्रभात
02.04.2014

*3. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्वैच्छिक चकबन्दी की योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो इस नीति के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

राजस्व

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
08.05.2014

*4. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय पॉलिटैक्निक सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2006 से आईटीआई एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गये थे ? यदि हां, तो क्या इन विषयों में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हे संचालित करने हेतु कितने पदों की स्वीकृत दी गई है और कब से ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सल्ट पॉलिटैक्निक की ही तरह प्रदेश के अन्य पॉलिटैक्निकों में भी नए विषयों और उनके संचालन हेतु पदों की स्वीकृति दी गई है तथा क्या उनमें पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

तकनीकी
शिक्षा

श्री मालचन्द
11.04.2014

*5. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जहां अतिवृष्टि से सिंचाई नहरों के हैड लगातार हर वर्ष बहते टूटते रहते हैं, जिससे कई जगहों पर सिंचाई नहरों के हैड बनने मुश्किल होते जा रहे हैं जिससे सिंचाई से समस्त कास्तकारों को वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जहां प्राकृतिक स्रोत है, उन जगहों पर झीलों का निर्माण करायेंगे जिससे कास्तकारों की सिंचाई समस्या पूरी हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
3.01.2014

*06. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि के जिन कार्य योजनाओं के भुगतान वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 से आज समय तक पूर्ण नहीं किया गया है उनका योजनावार विवरण क्या है तथा भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य
विकास

श्री बिशन सिंह
चुफाल
26.05.2014

*07. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा मुवानी में लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई हो रही है ? यदि हां, तो कुल कितने हेक्टर जमीन में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
29.01.2014

01. पुनः स्थगित।

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जो विकास कार्यों हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय को विधायक निधि या अन्य योजनाओं का धन अवमुक्त किया जाता है वह लम्बे समय तक खर्चा न होने पर उस पर ब्याज मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 की ऐसी ब्याज राशि जिलेवार विवरण देने पर विचार करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवधि की राशि का क्या उपयोग किया गया तथा उसका जिलेवार योजना सहित विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य
विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात
25.03.2014

1. क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम बुधवार हे अता0 प्रश्न संख्या 05 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की रूद्रपुर (विकास खण्ड विकासनगर) लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा सिंचित 30 है0 कमाण्ड एरिया में कितने कृषक लाभान्वित हो रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 30 है0 क्षेत्र की सिंचाई के लिए विभाग को वर्ष में कितनी आबपासी प्राप्त होनी चाहिए तथा योजना के निर्माण से अभी तक वसूल की गयी आबपासी का विवरण क्या है ?

सिंचाई

श्री नवप्रभात
26.03.2014

2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में कितनी योजनायें स्वीकृत की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त योजनाओं के विकास खण्ड वार ग्राम सभा वार विवरण से अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

ग्राम्य
विकास

श्री ललित फर्स्वाण
26.03.2014

3. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत महरगाड़ी घाटी, नामतीचेटाबगड़ में गैस वितरण केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक गैस वितरण केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं
नागरिक
आपूर्ति

श्री नवप्रभात
27.03.2014

4. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

ग्राम्य
विकास

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के आधार पर रखने के लिये सेवादाता ऐजेन्सी के चयन के क्या मानक हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 2013 को प्रदेश में सेवादाता ऐजेन्सी के माध्यम से तैनात किये गये कार्मिकों का जनपदवार ऐजेन्सीवार विवरण क्या है ?

श्री नवप्रभात
27.03.2014

5. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 31 दिसम्बर, 2013 को जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारक परिवारों का ग्राम सभा वार विवरण क्या है तथा इस योजना के अन्तर्गत इन ग्राम सभाओं को वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि ग्राम सभा वार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक उपरोक्त ग्राम सभाओं में लाभार्थियों को सौ-सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करने का विवरण क्या है ?

ग्राम्य
विकास

श्री मालचन्द
27.03.2014

6. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला के अन्तर्गत जनमोली नौरी कालसीधार ब्याली खिमोत्ररा सर बडियार जाने वाला पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का सरकार जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री मालचन्द
27.03.2014

7. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत अब तक कितने पैदल एवं रज्जु मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन किन रज्जु मार्गों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितनी धनराशि अवमुक्त हो गयी है और शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री मालचन्द
27.03.2014

8. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के टौन्स वन प्रभाग पुरोला, अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट के द्वारा पूर्व की भांति स्थानीय निवासियों के हकहकूक बहाल कने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री नवप्रभात
31.03.2014

9. पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

ग्राम्य
विकास

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के आधार पर रखने के लिये सेवादाता ऐजेन्सी के चयन के क्या मानक हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 2013 को प्रदेश में सेवादाता ऐजेन्सी के माध्यम से तैनात किये गये कार्मिकों का जनपदवार ऐजेन्सीवार विवरण क्या है ?

श्री नवप्रभात 01.03.2014	10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून विकास खण्ड विकासनगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत "लांघा मटोगी मोटर मार्ग" की कुल लम्बाई कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि इस सड़क के कितने किलो मीटर का डामरीकरण किया जा चुका है ?	ग्राम्य विकास
श्री नवप्रभात 01.04.2014	11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बैम्बू मिशन लागू है ? यदि हां, तो इस मिशन के अन्तर्गत गत 07 वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य को कितने संसाधन प्राप्त हुए ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन प्राप्त संसाधनों के उपयोग एवं बांस से आच्छादित की गयी भूमि का विवरण क्या है तथा बांस कितने वर्ष में विदोहन के लिए तैयार हो जाता है और बांस विदोहन से प्राप्त आय का विवरण क्या है ?	वन
श्री नवप्रभात 02.04.2014	12. द्वितीय शुक्रवार के अता 01 में स्थाना 0 क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0औ0प्र0 संस्थान विकासनगर देहरादून के औद्योगिक पार्टनर के रूप में मै0 जनार्दन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज लि0 को नियत किया गया है ? यदि हां तो कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस औद्योगिक पार्टनर द्वारा रा0औ0प्र0 संस्थान, विकासनगर को क्या तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये गये तथा कौन से नये व्यवसाय सृजित किये गये ?	तकनीकी शिक्षा
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 23.05.2014	13. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद से वर्तमान तक प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए हैं ? क्या मंत्री जी उनका मुआवजे का भी विधान सभावार विवरण देंगे ? यदि हां, तो कितना-कितना और कब ? यदि नहीं तो क्यों ?	वन
श्री नवप्रभात 03.04.2014	14. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में "ईको सेंसिटिव जोन" घोषित करने का विषय विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? प्रदेश के विकास एवं आर्थिक हितों के रक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस विषय में क्या नीति निर्धारित की गई है ?	वन एवं पर्यावरण
श्री नवप्रभात 04.04.2014	15. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ऐसी सड़कों का जनपदवार विवरण भी बतायेंगे जिनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परन्तु उनका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ?	ग्राम्य विकास
श्री नवप्रभात 04.04.2014	16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों का जनपदवार विवरण क्या है तथा उनकी आगणित लागत क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से वन अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?	ग्राम्य विकास

श्री नवप्रभात
09.04.2014

17. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में ग्राम खेड़ा पछवा लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इस योजना का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा कर लिया गया? क्या इस योजना के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा पछवा से पृथ्वीपुर जंगल के बीच एक पत्थर की दीवार का निर्माण भी किया गया था? यदि हां, तो दीवार की लम्बाई-चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी निर्मित की गयी तथा इस दीवार के बनाने में क्या लागत आयी और सिंचाई योजना में इस दीवार का क्या सदुपयोग है?

सिंचाई

श्री मालचन्द
10.04.2014

18. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत रामासिराई में कास्तकारों की नगदी फसलों व लाल धान हेतु सिंचाई सुविधा के अभाव में धान की रोपाई व नगदी फसलों का कार्य समय पर नहीं हो पाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी रामासिराई के लिए बडियार गाड से लिफ्ट सिंचाई योजना के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे?

सिंचाई

श्री मालचन्द
10.04.2014

19. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया और इसका कार्य कहां से कहां तक किया जायेगा? क्या सरकार द्वारा सौन्दर्यीकरण का ब्लू प्रिन्ट तैयार किया गया? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री मालचन्द
10.04.2014

20. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के कमल नदी हेतु स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य छोटे-छोटे टुकड़ों में कराया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सिंचाई

श्री मालचन्द
10.04.2014

21. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी पर कितनी धनराशि किस कार्य कि लिए स्वीकृत है इस कार्य के क्रियान्वयन का प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री मालचन्द
11.04.2014

22. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत हर वर्ष भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मानव जाति पर हमला किये जाने से घायल व अपंग होने पर मुआवजे की राशि तुरन्त नहीं दी जाती है? जानवरों द्वारा हमला करने पर कितनी धनराशि दी जाती है? क्या मंत्री जी इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री मालचन्द
11.04.2014

23. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्र पुरोला, नौगांव, मोरी के कास्तकारों की नगदी फसले मुख्य आजीविका है जिसको जंगली सूअरों द्वारा तहस नहस किया जा रहा है? क्या मंत्री जी इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री मालचन्द
11.04.2014

24. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में अतिवृष्टि सिंचाई से पुरोला विधान सभा क्षेत्र के कमल नदी/बिगराडी खड्ड/कोटला कुड खड्ड/मालगाड खड्ड/बाया खड्ड/गडूगाड खड्ड/फटेवा खड्ड/बडियार खड्ड/रतियाड गाड़ आदि में खेतों के कटाव की रोक थाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नवप्रभात
11.04.2014

25. क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रथम सत्र 2014 के द्वितीय बुधवार के तारांकित ग्राम्य प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत "लांघा-मटोगी मोटर मार्ग" के अनुबन्ध के अनुसार डामरीकरण कार्य 11.06.2014 तक पूर्ण किया जाना है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण में लापरवाही की कोई शिकायत की गयी? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी तथा मार्ग निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री नवप्रभात
11.04.2014

26. क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2014 के द्वितीय बुधवार के सिंचाई अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के वित्तीय वर्ष 2012-13 में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत की गयी थी तथा इन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का विधान सभावार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उनकी कुल लागत क्या है तथा इन स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है?

श्री नवप्रभात
15.04.2014

27. प्रथम सत्र 2013 के अल्पसूचित प्रश्न के क्रम में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट वन करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के बीच वन पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये 4564.5 लाख से कुल कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया ? क्या इस वृक्षारोपण में राज्य की वृक्षारोपण नीति का पालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये गये पौधों के सफलता प्रतिशत का स्थलीय निरीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो इस वृक्षारोपण का प्रजातिवार विवरण तथा इस अवधि में शेष रुपये 1256.00 लाख के प्रयोग का मदवार विवरण क्या है ?

श्री नवप्रभात
15.04.2014

28. द्वितीय बुधवार के अता0 01 में स्थाना0 ग्राम्य विकास क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्ड विकास सृजित करने की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है ?

श्री नवप्रभात
15.04.2014

29. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों का जनपदवार राजस्व विवरण क्या है तथा तहसीलों की विधान सभावार फांट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों का विवरण क्या है ?